21.01.2021 आज यह पत्रावली पेशी में ली गई। पेरोराजकार उपस्थित। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भ–ुराजस्व अधिनियम 1956 बाबत दुरूस्ती का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के द्वारा तहसीलदार ने खातेदार के हिस्सा एवं खाते मे दर्ज कुल रकबे से अन्तर होने के कारण खाता अपवादित/अशुद्व को शुद्व कराने का अनुतोष चाहा गया। जो कि अर्न्तगत धारा 136 भ–ुराजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोशणीय नहीं। क्योंकि इस प्रार्थना पत्र द्वारा चाहा गया उक्त अनुतोष नियमानुसार संबंधित पक्षकार द्वारा घोशणात्मक वाद पत्र पेश कर सक्षम न्यायालय अनुताष प्राप्त किया जा सकता है। अतः यह प्रार्थन–पत्र अर्न्तगत धारा 136 भ–ुराजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोशणीय नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवम् पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner